प्रस्तावना

प्रस्तावना

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के विभागों और राज्य-सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वैसे हैं जो वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे और साथ ही साथ वैसे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए थे परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों और लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियमों के अनुरूप लेखापरीक्षा आयोजित की गई है।